



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cghb.gov.in

योजना एक

लाभ अनेक

प्रधानमंत्री आवास योजना



कमल विहार रायपुर

छत्तीसगढ़ में प्रथम बार
विश्वस्तरीय तकनीक से भवनों का निर्माण



राजेश मूणत
माननीय मंत्री,
आवास एवं पर्यावरण,
लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन

आवेदन पत्र
नियम एवं शर्तें

भूपेन्द्र सवनी
माननीय अध्यक्ष,
(राज्यमंत्री दर्जा)
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल



मकान नहीं घर बनाते हैं - पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

“कमल विहार - प्रधानमंत्री आवास योजना”

कमल विहार

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र-4, रायपुर

आवासीय फ्लैट, पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापन अनुसार पंजीयन अवधि से

श्री..... को यह आवेदन पत्र रसीद क्रमांक
दिनांक द्वारामें प्रस्तावित योजना के अंतर्गत भवन के पंजीयन के लिए
ई.डब्ल्यू.एस. हेतु रु. 200.00 एल.आई.जी. हेतु रु. 300.00 भुगतान प्राप्त कर प्रदान किया जाता है।

संपदा अधिकारी

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4,
शंकर नगर, रायपुर

प्रति,

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, शंकर नगर, रायपुर

पंजीयन क्रमांक :-
भवन क्रमांक :-

महोदय,

में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत कमल विहार, रायपुर में आबंटन के लिए स्ववित्तीय आधार पर
ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आवेदक के संबंध में विस्तृत विवरण

1. आवेदक का नाम : _____
2. पिता/पति का नाम : _____
3. जन्म तिथि : _____ आयु : _____
4. पूर्ण पता : _____
5. आधार कार्ड नं. (अनिवार्य) : _____ पेन कार्ड नंबर _____
6. ई-मेल आईडी : _____
7. फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) : दूरभाष (निवास) _____ (कार्या.) _____
मो. नं. _____

पासपोर्ट
फोटो

8. आवेदक का बैंक खाता विवरण : बैंक खाता क्रं _____
शाखा का नाम _____
IFSC Code _____
9. व्यवसाय : _____
10. वार्षिक आय : अ) व्यक्तिगत _____
ब) परिवार _____
11. वर्ग (आरक्षित वर्ग के हितग्राही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : _____
12. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम : _____ उम्र _____
एवं विवरण आवेदक से संबंध _____
पता _____
दूरभाष/मोबाईल नंबर _____

आवेदक द्वारा घोषणा

मेरे/हमारे द्वारा इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मण्डल के नियम तथा योजना से संबंधित विवरण/शर्तों कि जानकारी प्राप्त कर ली गई है। लॉटरी द्वारा पंजीयन/भवन आबंटन प्राप्त ना होने पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा। संलग्न नियम शर्तों पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:-

1. आवेदक यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहा है, उसका प्रमाण-पत्र।
2. आय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
3. निर्धारित प्रारूप में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र
4. पंजीयन राशि रु _____ बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉप्ट/चालान क्रमांक. _____
दिनांक _____ बैंक का नाम _____ शाखा का नाम _____

स्थान

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम _____

कार्यालय उपयोग हेतु

उपरोक्त आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों कि जाँच की गई/आवेदक का पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जावे।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4,
शंकर नगर, रायपुर

भवन आबंटन संबंधी नियम / शर्तें

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर एवं संपदा अधिकारी/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समस्त कार्यालयों तथा मण्डल की पंजीकृत अभिकर्ताओं से EWS हेतु रु. 200/- एवं LIG रु. 300/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ EWS हेतु रु. 15000/- एवं LIG हेतु रु. 30000/- के साथ पंजीयन राशि बैंकर्स चैक/डी.डी./RTGS के माध्यम से सूचना केन्द्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04, शंकर नगर कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-02, शंकर नगर, रायपुर, कार्यालय सहायक अभियंता, बोरियाकला एवं हिमालयन हाईट्स, जैन पब्लिक स्कूल के सामने, डूमरतराई, रायपुर में जमा किये जावेंगे।
3. भवन का आबंटन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। जिसमें (1) अनुसूचित जाति 6% (2) अनुसूचित जनजाति 4% (3) पिछड़ा वर्ग 6% (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (5) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (6) शारीरिक विकलांगों के लिए 3% (7) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (8) पत्रकार 2% (9) शासकीय कर्मचारी (रायपुर) के लिए 5% (10) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग के लिए 2%। उपरोक्तानुसार आरक्षण में किसी प्रवर्ग में रिक्त प्रतिशत के हितग्राही उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसकी पूर्ति अनारक्षित वर्गों से की जावेगी।
4. विज्ञापन में दर्शित पंजीयन अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक प्राप्त होती है तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। लॉटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों का नाम लॉटरी में नहीं निकलेगा उनकी जमा पंजीयन राशि मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
5. पंजीयन के पश्चात् भवन क्रमांक का आबंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। भवन रिक्त होने की स्थिति में मण्डल परिपत्रानुसार परिवर्तन शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यालय का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. LIG के लिए आवेदक की वार्षिक आय सीमा रु. 300001/- (रुपये तीन लाख एक) से रु.6,00,000/- (रुपये छः लाख) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) (अधिकतम) पात्रता माप दण्ड है। LIG एवं EWS के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
7. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर भवन के मूल्य का 1½% (डेढ़ प्रतिशत) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।
8. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किशतें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किशत प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा।
9. पंजीयन पश्चात् आबंटन आदेश में दिये गये तालिकानुसार प्रथम किशत की राशि के साथ सभी चार समान किशतें एकमुश्त जमा करने पर आबंटि को सम्पत्ति के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान की जावेगी।
10. पंजीयन पश्चात् तालिका में अंकित प्रथम अथवा द्वितीय किशत जमा करने के पश्चात् शेष किशतों की राशि को एकमुश्त जमा करने पर, जमा दिनांक से अंतिम किशत की तिथि तक नियमानुसार ब्याज दिया जावेगा।
11. मण्डल द्वारा योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किशतों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।
12. प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत :-
(अ) केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राही को अनुदान तथा ब्याज में छूट दी जायेगी। प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस. का संभावित मूल्य रु. 5.76 लाख है। पात्र हितग्राही को रु.1.50 लाख का नगद अनुदान केन्द्र शासन द्वारा दिया जाएगा। एल.आई.जी. का संभावित मूल्य रु. 9.38 लाख है। ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा पात्र हितग्राही को अधिकतम आवास ऋण रु. 6.00 लाख पर 6.5 प्रतिशत की दर से राशि अपफ्रन्ट पद्धति से प्राप्त ब्याज सब्सिडी उसके खाते में जमा की जावेगी, जो कि 15 वर्षों के लिए ऋण लेने पर रु. 2.30 लाख संभावित है। इस प्रकार हितग्राही लिए गए लोन पर 2.30 लाख की कटौती कराने एवं ई.एम.आई. पूर्ववत जमा करने पर ऋण राशि निर्धारित 15 वर्ष से बहुत पहले समाप्त हो जावेगी अथवा हितग्राही चाहे तो अपनी ई.एम.आई. की राशि कम कराते हुए 15 वर्ष तक जमा कर सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(ब) भवन का पंजीयन/आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम पर किया जावेगा। महिला आवेदक या महिला आवेदक के साथ परिवार के संयुक्त नाम पर भी आबंटन किया जा सकता है। आवेदक के नाम पर अन्य कोई पक्का भवन/मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अर्थात् आवेदक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका निगम के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

(स) अनुदान प्राप्त करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र "ख" में जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे। (आवश्यक दस्तावेज के साथ) विस्तृत जानकारी www.mhupa.gov.in में उपलब्ध।

13. मण्डल द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटी को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आबंटी को भवन के मूल्य पर आपत्ति हो तो मण्डल में जमा राशि नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकेगा।
14. स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रकोष्ठ भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। भवनों में निर्माण हेतु स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत निर्धारित तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलंब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।
15. जहां प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया है, उसका उपयोग संबंधित ब्लॉक के आबंटी सामूहिक रूप से बिना विवाद करेंगे।
16. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहें वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हों मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों कि सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5% अतिरिक्त राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 18 माह के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।
17. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता, फोन नंबर/मोबाईल नंबर, ई-मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
18. उक्त योजनांतर्गत मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
19. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु मण्डल के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा। अन्यथा आबंटन निरस्त कर अन्य आवेदक को भवन आबंटन किया जावेगा।
20. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें समय पर चुकाना होगा, किश्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
21. किसी भी कारण से यदि आधिपत्य लेने में आबंटी की ओर से देरी होती है तो कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी आबंटन निरस्त कर सकते हैं। आबंटी को यदि समयावधि प्रदान की जाती है तो सुरक्षा शुल्क का आबंटी द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होगा।
22. आधिपत्य लेने के संबंध में यदि हितग्राही द्वारा आना-कानी किया जाता है अथवा भवन के स्थिति के संबंध में प्रोटेस्ट अथवा अभ्यावेदन देते हैं ऐसी स्थिति में यदि उनकी शिकायत अथवा प्रोटेस्ट या अभ्यावेदन सही पाया जाता है, तो मण्डल उसे 02 माह के भीतर भवन में आवश्यक सुधार/समाधान कर आधिपत्य देगा। यदि हितग्राही उस सुधार/समाधान से सहमत नहीं है तो आबंटन निरस्त कर उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा तथा आबंटी अन्य किसी प्रकार के मुआवजा आदि के लिए हकदार नहीं होंगे।
23. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से स्व-वित्तीय योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती है तो उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज, हितग्राही को जमा करना होगा।
25. विज्ञापन में दर्शायी गई कीमत अनुमानित है, भवन की अंतिम मूल्य, वास्तविक व्यय के आधार पर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित किया जावेगा, जो आबंटी को मान्य होगा।
26. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य के अतिरिक्त अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क, कामन सर्विस चार्जेस, बीमा शुल्क तथा राज्य शासन के अन्य प्रभार एवं नल कनेक्शन प्रभार नियमानुसार पृथक से आबंटन/आधिपत्य पूर्व जो कि भवन के मूल्य का लगभग 10% होगा, पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है तो वह भी पृथक से देय होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

(ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

27. पंजीयन एव किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी। किश्त राशि जमा करने पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
28. भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गए स्पेसिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मण्डल स्वतंत्र है। इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
29. स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत आबंटित भू-खण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रु. 50/- के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटि को देना होगा।
30. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र/संभाग कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट www.cghb.gov.in में देखा जा सकता है।
31. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
32. ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाओं ली जानी मण्डल हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।
33. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालयीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
34. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
35. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
36. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
37. भवन का आधिपत्य 03 साल 06 माह में अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।
38. भवन का पूर्ण मूल्य निर्धारित तालिकानुसार किश्तों में हितग्राही को देनी होगी किन्तु भवन का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दिया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4
शंकर नगर, रायपुर

आवेदक द्वारा घोषणा

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-01 से 38 तक सभी नियम/शर्तें मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है तथा मुझे मान्य है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

स्थान

दिनांक

शपथ-पत्र

मैं वचन देता हूँ कि मुझे भवन आबंटन होने की स्थिति में:-

1. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा।
2. मैं मण्डल द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
3. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
4. मेरे अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भवन अथवा प्रकोष्ठ भवन नहीं है अथवा आबंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
5. मुझे भलीभांति ज्ञात है कि भवन का निर्माण विशिष्ट तकनीक से किया गया है। अतः भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नहीं करूंगा।
6. आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त नियम/शर्तें मुझे मान्य हैं। सभी प्रकार के मण्डल के नियमों का पालन करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

.....

फोन नं.

मोबाईल नं.

नोट :-

1. जहां-जहां मण्डल का जिक्र किया गया है, उसका आशय संबंधित कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी/मण्डल कार्यालय से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता एवं भाई-बहिन।

आवेदक के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदन पत्र

प्रारूप ख - लाभार्थी से मांगी जाने वाली सूचना

1- i f j o k j d s e d f k k d k u l e

2- f y a [i q " k 0 1] e f g y k 0 2]

3- f i r k d k u l e

4- o r z k u i r k v k s I a d z C k s k

i- e d k u l a

ii- L y e d k u l e

iii- ' k j

iv- e k s k b y I a ; k

5- L f k b z i r k

i- e d k u / f y s / } k j I a

ii- x y h d k u l e

iii- ' k j / x k

iv- f t y k j j k ;

6- e k s n k e d k u d k e k f y d k u k C k s k

[L o k e R o - 0 1] f d j k k - 0 2] v U - 0 3]

7- N r d s v k k j i j e d k u d k c d k j

[i D d k 1 4 h e a d d o n v k s i f f j o k y k 0 1] v n z i D d k

1 4 h e a d d h p k j / L V h y d h p k j] V k o y I s c u s g q 1 0 2]

d P p k 1 4 h / N l i j] f r j i k y] y d M h l s c u k 0 3]

8- j l k s z k j d k s N k s a j f j g k ' k h b d k b z e a d e j k a d h l a ; k

9- v k k j d k v z I a ; k 1 4 f n m i y C k u g h a g S r k s

e r n r k i g p k u i = / d k b z v U f o f k V i g p k u I a ; k v f l o k y k h k f z d s e w f u o k f t y s d s j k t L o

c k f / d k j h l s e d k u L o k e R o d k c e k k i = 1 2

10- i f j o k j d s l n L ; k a d h l a ; k v k s v k q

i f j o k j d s e d f k k l s l a z k	f y a	v k q	v k k j / e r n r k i g p k u i = / d k b z v U f o f k V i g p k u I a ; k v f l o k y k h k f z d s e w f u o k f t y s d s j k t L o c k f / d k j h l s e d k u L o k e R o d k c e k k i =

11- a e z

[f g h 0 1] e d f y e 0 2] b l k b 0 3] f l D j k 0 4] t s i 0 5]

c k s & 0 6] i k j l h 0 7] v U 1 4 m y s k d j a z

12- t kfr

[l leU &01] vub for t kfr &02]
vub for t ut kfr &03] vU fi NM ox &04]

13- ca dk C kSk

d- ca [krkl a; k
[k ca v kS ' k[k d k ule

14- bl dLca kj eaj gusd h o'kaeal a; k

[0l sl o'ka &01] 1l s3 o'ka &02] 3l 5o'ka &03] 5o'ka l svf/d &04]

15- ek nk fj gk ' kh bd kbZd k vld kj ' d kj i v {ks oxZehVj ea

16- D ki fj okj dsik Hkj r ead graHh vi uk ed ku/fj gk ' kh

Hke gS ' gka ugra

x- ; fn gka rksLFku dk C kSk na

1/2Lrh ' kj / j k; 1/2

?k ; fn gka rks oxZehVj eaHke dk C kSk na

17- j kS xkj dh fLFkr

1/2o&j kS xkj & 01] osuHkxh & 02] fu; fer et njv & 03]

et njv & 04] vU & 05/2

18- i fj okj dhv kSr ekf d vk 1/4i, ea

19- D ki fj okj dsik ch hy dk vZgS' gka/ ugra

d- ; fn gka ch hy dk vZl a; k na

20- i fj okj dhv lok vko'; drk

1/4; k ?j & 01] of) & 02/2

21- of) dseleysea-i; kvi s(k of) dk my \$k dj A

[, d dej kj l kS ?j /Luku ?j / kS ky; vFok; sl Hhl aDr : i l \$

22- fe' ku ds? v d dh c k f r k f t l ds vaxZ l Hh ds fy,

vlok 1/4p, Q, 1/2 ds rgr y k k f k Z d k l gk r k dhv ko'; drk gS

i- _ .kl st v h l f C M & 01

ii- Hkx m kj heaf d Qk rhv lok & 02

iii- Lo&fue k Z k & 03

i fj okj d sed k k d s g L r k kj / v a B s d k fu' kku

uk: *vi k= Lye okf ; ka v kS mu Lyek ds sy Hk f Z k ds fy, , sgh c k i dk mi; k fd; k t k s k ft ud sfy, "l Hh ds fy, vlok " Ld he ds fn' k f un z k ds i " B l a 24 i j l Hh ds fy, vlok dk Z; k uk ds fy k p v Z c f 0; k ds v u k j, fut h Hk x m kj h d s e k / e l s l y e i q f o z k k ds fy, f o p k j u g r a f d; k x; k g a

mi; Dr l p u k d s' k j h L F k u h f u d k c H k j h

d s c f r f u f / k d s g L r k k j

प्रधानमंत्री आवास योजना कमल विहार, रायपुर



फ्लैट
रु. 4.26
लाख में

फ्लैट का कारपेट क्षेत्र
289.65 वर्ग फुट

सुपर बिल्टअप एरिया
383.08 वर्ग फुट



फ्लैट
रु. 7.38
लाख में

फ्लैट का कारपेट क्षेत्र
430.01 वर्ग फुट

सुपर बिल्टअप एरिया
617.83 वर्ग फुट